मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— आशिलेश कु. चौधरी

(पदनाम) :- लिपिक ।

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय देवघर

तारीख

जिला अवर निबंधक देवघर का मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
27-01-2020

टिप्पणी (१)–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणिकों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियें उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र मे दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चुँकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चुँकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।